

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

-: अधिसूचना :-


राँची, दिनांक- 01.04.2021

संख्या-वि0स0वि0-09/2021-.....1595/वि0स0। सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि पंचम झारखण्ड विधान-सभा पंचम (बजट) सत्र में दिनांक-23 मार्च,2021 को पारित प्रस्ताव के आलोक में माननीय अध्यक्ष,झारखण्ड विधान-सभा ने "झारखण्ड राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक,2021" पर विचार के लिए झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-72 के अधीन प्रवर समिति का गठन निम्न से प्रकार किया है:-

- | | | |
|--|---|--------|
| 1. श्री सत्यान्द भोक्ता, | मंत्री,
श्रम,नियोजन,प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग,झारखण्ड सरकार,राँची। | सभापति |
| 2. माननीय विधि मंत्री,झारखण्ड सरकार,राँची, | | सदस्य |
| 3. श्री रामदास सोरेन, | स0वि0स0 | सदस्य |
| 4. श्री मयुरा प्रसाद महतो, | स0वि0स0 | सदस्य |
| 5. श्री रामशुन्दर चन्द्रवंशी, | स0वि0स0 | सदस्य |


सभा सचिव इस प्रवर समिति के सचिव होंगे। समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 01 (एक) माह की होगी।

अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा के आदेश से,


(महेन्द्र प्रसाद)
सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

ज्ञापांक-वि0स0वि0-09/2021-.....1595/वि0स0, राँची, दिनांक- 01.04.2021.
प्रति:- सभापति सहित समिति के सभी माननीय सदस्यों को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(गुरुचरण सिंह)
उप सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

कू0पू030/-

-: 02 :-

ज्ञापांक-वि०स०वि०-०९/२०२१-.....१५९६.../वि०स०, राँची, दिनांक-...०१.०४.२०२१.
प्रति:- संयुक्त सचिव,अध्यक्षीय कार्यालय,आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय
को कमरा: माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

[Signature]
०१/०४/२०२१
उप सचिव,

ज्ञापांक-वि०स०वि०-०९/२०२१-.....१५९६.../वि०स०, राँची, दिनांक-...०१.०४.२०२१.
प्रति:- सचिव,भ्रम,नियोजन,प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग तथा
प्रधान सचिव,विधि विभाग,झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।

[Signature]
०१/०४/२०२१
उप सचिव,

ज्ञापांक-वि०स०वि०-०९/२०२१-.....१५९६.../वि०स०, राँची, दिनांक-...०१.०४.२०२१.
प्रति:- माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त, झारखण्ड,राँची/
महाधिवक्ता,झारखण्ड,राँची/ महालेखाकार,झारखण्ड,पोस्ट-हिन्नु,राँची एवं लेखा शाखा,
झारखण्ड विधान-सभा,राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Signature]
०१/०४/२०२१
उप सचिव,

ज्ञापांक-वि०स०वि०-०९/२०२१-.....१५९६.../वि०स०, राँची, दिनांक-...०१.०४.२०२१.
प्रति:-अधीक्षक,सचिवालय मुद्राणालय,डोरण्डा,राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
उनसे अनुरोध है कि इस अधिसूचना को झारखण्ड राजपत्र के आगामी असाधारण
अंक में प्रकाशित करने एवं प्रकाशित अधिसूचना की दस प्रतियाँ सभा सचिवालय
को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

[Signature]
०१/०४/२०२१
उप सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा,राँची।
[Signature]
०१.०४.२०२१

अरुण


झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

-: अधिसूचना :-

रौंघी,दिनांक- 30/4/21


संख्या-वि०स०वि०-09/2021-858/वि०स०। झारखण्ड विधान सभा की अधिसूचना संख्या-09/2021-1595,दिनांक-01/05/2021 के क्रम में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि पंचम झारखण्ड विधान सभा की पंचम (बजट) सत्र में दिनांक-23मार्च,2021 को पारित प्रस्ताव के आलोक में माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा ने " झारखण्ड राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक,2021 " पर विचार के लिए झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-प्रचालन के नियम-72 के अधीन प्रवर समिति का कार्यकाल 31जुलाई,2021 तक विस्तारित किया जाता है:-

अध्यक्ष,झारखण्ड विधान सभा के आदेश से,


(महेन्द्र प्रसाद)30/04/21
सचिव,


झारखण्ड विधान सभा,रौंघी।

ज्ञापांक- वि०स०वि०-09/2021-859/वि०स०,रौंघी,दिनांक- 30/4/21
प्रतिलिपि:- श्री सत्यानन्द भोक्ता,मंत्री-सह-सभापति/ माननीय विधि मंत्री,
झारखण्ड सरकार,रौंघी सदस्य /श्री रामदास सोरेन,स०वि०स० सदस्य/श्री मथुरा प्रसाद
महतो, स०वि०स० सदस्य एवं श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी स०वि०स० सदस्य को सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।


(गुरुस्वरण सिंघु)
उप सचिव,

झारखण्ड विधान सभा,रौंघी।

ज्ञापांक- वि०स०वि०-09/2021-859/वि०स०,रौंघी,दिनांक- 30/4/21
प्रतिलिपि:-संयुक्त सचिव,अध्यक्षीय कार्यालय, आप्त सचिव, सचिवीय
कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।


उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रौंघी।

ज्ञापांक- वि०स०वि०-०९/२०२१-८५९/वि०स०,रौंची,दिनांक- ३०/५/२१
प्रतिलिपि:-सचिव, भ्रम,नियोजन,प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग तथा
प्रधान सचिव, विधि विभाग,झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।

उप सचिव,
३०/५/२०२१

उप सचिव,

झारखण्ड विधान सभा,रौंची।

ज्ञापांक- वि०स०वि०-०९/२०२१-८५९/वि०स०,रौंची,दिनांक-३०/५/२१
प्रतिलिपि:-माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त झारखण्ड, रौंची
/महाधिवक्ता झारखण्ड,रौंची/महालेखाकार, झारखण्ड, पोस्ट-हिन्डू,रौंची एवं लेखा
शाखा,झारखण्ड विधान सभा,रौंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव,
३०/५/२०२१

उप सचिव,

झारखण्ड विधान सभा,रौंची।

ज्ञापांक- वि०स०वि०-०९/२०२१-८५९/वि०स०,रौंची,दिनांक- ३०/५/२१
प्रतिलिपि:-अधीक्षक, सचिवालय मुद्राणालय,डोरण्डा,रौंची को सूचनार्थ प्रेषित।
उनसे अनुरोध है कि इस अधिसूचना को झारखण्ड राजपत्र के आगामी असाधारण
अंक में प्रकाशित करने एवं प्रकाशित अधिसूचना की दस प्रतियाँ सभा सचिवालय को
उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

उप सचिव,
३०/५/२०२१

उप सचिव,

झारखण्ड विधान सभा,रौंची।